भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2735

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1937 (शक)

केरल के लिए ऋण कटौती

2735. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान केरल के लिए की गई क्रमशः 6,757 करोड़ रुपये और 3,323 करोड़ रुपये की ऋण कटौती को बहाल किए जाने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल की ऋण सीमा को बढ़ाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.5 प्रतिशत किए जाने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे राजकोषीय प्रतिबंध सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप नहीं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए केरल राज्य सरकार को जारी की गई उधारी सहमति में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अक्टूबर 2025 में प्रकाशित वर्ष 2023-24 के राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर) में रिपोर्ट किए गए बजटेतर उधारों और गारंटीमोचन निधि (जीआरएफ) में राज्य के अंशदान में कमी के कारण क्रमशः 5,944 करोड़ रुपये और 3,323 करोड़ रुपये की कटौती की गई थी इसके अलावा, बजटेतर उधारों के पुनर्भुगतान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोधों और

जीआरएफ में किए गए अंशदान के आधार पर, उपर्युक्त कटौतियों के सापेक्ष क्रमशः 1,700 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये की राशि बहाली की गई है।

(ख) जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) केरल सहित सभी राज्यों की उधार सीमा सामान्यतः वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निर्धारित की जाती है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और राजकोषीय संघवाद संरचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आयोग विकास के लिए पर्याप्त राजकोषीय सीमा प्रदान करते समय ऋण स्थिरता को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन मार्ग की भी सिफारिश करता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान केरल सहित सभी राज्यों की उधार सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

वर्ष	**सामान्य निवल उधार सीमा**	**अतिरिक्त उधार, यदि कोई हो**
2021-22	जीएसडीपी का 4%	बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए जीएसडीपी का 0.5% तक
2022-23	जीएसडीपी का 3.5%	
2023-24	जीएसडीपी का 3%	
2024-25	जीएसडीपी का 3%	
2025-26	जीएसडीपी का 3%	

*****